

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय
महाप्रबंधक(का)
हाजीपुर

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/6/2021 (C.N-101949)

- सभी विभागाध्यक्ष/पूमरे/हाजीपुर।
- मुख्य प्रशासनिक अधि०/निर्माण उत्तर एवं दक्षिण/महेन्द्रघाट/पटना।
- DRM(P)/पूमरे/दानापुर,डी. डी. यू. धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
- CWM/पी डी/डीडी यू. यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं CRW/हरनौत।

विषय : वरिष्ठ अनुदेशक/कार्मिक (मंत्रालयिक/कार्मिक निरीक्षक) लेवल-07 (EX - Cadre) पद के चयन के संबंध में।

संदर्भ : NWR letters No: 875 ई/प्रका/अनुदेशक/कार्मिक/उपरे, दिनांक: 01.03.2024

विषयांकित से सम्बंधित संदर्भित पत्र की प्रति सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of the referred letter related to the subject matter is being sent for information, guidance and further necessary action.

संलग्नक : यथोपरि।

Digitally Signed by Manoj
Ku Choudhary

Date: 01-04-2024 13:32:29

Reason: Approved

(मनोज कुमार चौधरी)
सकाधि/ईएसएम

कृते महाप्रबंधक (का.)/पूमरे/हाजीपुर

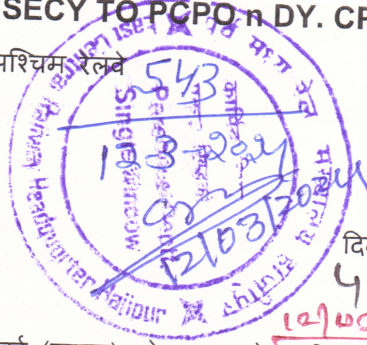
प्रतिलिपि :- सकाधि (एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर- कृपया पूमरे के वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।

कृते महाप्रबंधक (का.)/पूमरे/हाजीपुर

2452754/2024/O/o Dy.CPO/HQ/ECR

File No.NWR-HQ0PERS(HQ)/21/2022-O/o SECY TO PCPO n DY. CPO/W/PERS/HQ/NWR

उत्तर पश्चिम रेलवे



प्रधान कार्यालय
कार्मिक विभाग
उपरे - जयपुर

दिनांक- 01.03.2024

सं. 875 ई / प्रका / अनुदेशक / कार्मिक / उपरे

महाप्रबंधक/का.- मुम्बई (चर्च गेट), मुम्बई (सीएसटी), चेन्नई (मद्रास), कोलकाता (फेयरली प्लेस), नई दिल्ली, गोरखपुर, कोलकाता (गार्डन रीच), मालीगाँव (गुवाहाटी), सिकन्दराबाद, हाजीपुर, भुवनेश्वर, हुबली, जबलपुर, इलाहाबाद, बिलासपुर, विशाखापटनम आरडीएसओ-लखनऊ

प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशा. प्रका. उपरे-जयपुर।

मु.प्र.अधि.(नि.)- उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर।

मं.रे.प्रबंधक/का.- अजमेर/जयपुर/बीकानेर/जोधपुर।

मुख्य कारखाना प्रबंधक/का.-अजमेर/बीकानेर/जोधपुर।

उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक/कार्मिक अजमेर, जोधपुर, बीकानेर।

अधिसूचना

विषय :- वरिष्ठ अनुदेशक / कार्मिक (मंत्रालयिक / कार्मिक निरीक्षक) लेवल-07 (Ex - Cadre) पद के चयन के संबंध में ।

संदर्भ:- 1 रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 15.05.1994, 29.07.2003 (RBE- 129 / 2003), 04.01.2007 (RBE 06/2007) 19.06.2018 (RBE 93/2018), 14.12.2018 (RBE - 196/2018), 13.05.2019 (RBE 79/2019), 14.11.2019 RBE 194 / 2019), 14.01.2020 (RBE 04/2020) 22.05.2020 (39/2020), 13.01.2021 (RBE 04/2021)

2 प्रधान कार्यालय उपरे - जयपुर द्वारा जारी पीएस संख्या 875 ई / 0/चयन नीति दिनांक 24.09.2018 (108/2018) तथा पीएस दिनांक-20.06.2019(88/2019 तथा 88/2019)

3 रेलवे बोर्ड का पत्र स - ई / एमपीपी / 2023/3/6 दिनांक 04.09.2023 (आरबीई 104/2023)

4 रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 07.11.2023 (RBE 122/2023)

प्रधान कार्यालय उपरे-जयपुर के अधिनस्थ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में वरिष्ठ अनुदेशक / कार्मिक (मंत्रालयिक / कार्मिक निरीक्षक) संवर्ग की निम्नलिखित रिक्तियों को भरा जाना प्रस्तावित है।

क्रम स	पदनाम	लेवल	प्रशिक्षण केंद्र	रिक्ति
01	वरिष्ठ अनुदेशक / कार्मिक (मंत्रालयिक / कार्मिक निरीक्षक)	07	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, उदयपुर	05

रेलवे बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्रानुसार उक्त (EX - Cadre पद) रिक्त पदों के चयन आयोजित करने हेतु कार्मिक विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक / कार्मिक निरीक्षक कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । चूंकि उक्त सभी पद Ex Cadre है इसलिए इस चयन में अ.जा / अ.ज.जा के कर्मचारियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है । पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं, जो इस अधिसूचना के जारी करने की दिनांक से मानी जाएगी ।

पात्रता :-

- 1 कार्मिक विभाग विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक / कार्मिक निरीक्षक, जो पे मेट्रिक्स लेवल 07 के पद पर नियमित रूप से कार्यरत हैं ।
- 2 उक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले लेवल 07 में नियमित रूप से कार्यरत आवेदकों का चयन निम्नानुसार चयन की प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा (Positive Act Of selection) तदपि लेवल 07 के

File No.NWR-HQ0PERS(HQ)/21/2022-O/o SECY TO PCPO n DY. CPO/W/PERS/HQ/NWR

आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर अधिसूचना में वर्णित लेवल से 01 लेवल नीचे अर्थात् पे मेट्रिक्स लेवल 06 में कार्यरत कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा ।

- 3 चयनित उम्मीदवारों को नामिका की स्थिति के आधार पर तैनात किए जाने पर उक्त तैनाती के लिए उनका इंकारनाम स्वीकार नहीं होगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है ।
- 4 उक्त Ex Cadre पदों की टेन्योर अवधि 03 वर्ष एवं अधिकतम 05 वर्ष है । अतः चयनित हुये उम्मीदवारों को 05 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर एवं कार्मिक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में पदस्थ किया जा सकता है । इस दौरान कर्मचारी का लियन उसकी मूल रेलवे / मण्डल / यूनिट / विभाग में ही लियन रहेगा तथा अवधि समाप्त होने पर कर्मचारी को वापस अपने पैतृक रेलवे / मण्डल / यूनिट / विभाग में भेज दिया जाएगा ।
- 5 रेलवे बोर्ड का संदर्भित पर दिनांक 04.09.2023 (आरबी 104/2023) के द्वारा अधिसूचना की दिनांक को 58 वर्ष पूरे करने वाले या उससे अधिक आयु के कर्मचारी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
- 6 Ex Cadre पदों पर एक बार काम करने के बाद जो कर्मचारी अपने मूल सर्ग में नियमित व तदर्थ आधार पर एक वर्ष तक कार्य कर चुके हैं, वे कर्मचारी फिर से आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- 7 वह कर्मचारी जो उक्त Ex Cadre पदों पर इस समय नियमित तथा तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं और उनकी अवधि पूरी हो गई है या पूरी होने वाली है, वे कर्मचारी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- 8 चयन के उपरांत अनुदेशक के पद पर कार्य करने के लिए चयनित अनुदेशकों को प्रशिक्षण भत्ते के बदले प्रशिक्षण केंद्र में उस पद का वेतन प्राप्त करने के विकल्प की अनुमति नहीं होगी । बाह्य संवर्ग पद पर वेतन प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं होगी और इस पद पर कार्य करने के लिए नियमानुसार प्रशिक्षण भत्ता दिया जाने का प्रावधान है ।
- 9 उक्त अनुदेशक पद पर कार्य करते हुये कर्मचारी अपने रेलवे / मण्डल / यूनिट / विभाग में होने वाली पदोन्नति का पात्र रहेगा तथा उसे नियमानुसार पदोन्नति दी जाएगी प्रशासनिक हित में पदोन्नति पर कर्मचारी को प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में पदस्थ किया जाना है ।
- 10 रेलवे बोर्ड के पत्र 13.05.2019 (आरबीई 79/2019) तथा दिनांक 14.12.2018 (आरबीई 196/2018) के निर्देशानुसार चयन लिखित परीक्षा 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (Objective Type Question) के आधार पर ली जाएगी तथा कक्षा कक्ष में अनुदेशक ट्राइल के आधार पर पैनल बनाया जाएगा । वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों में परीक्षार्थी को किसी प्रकार की शुद्धिकरण (Correction) की अनुमति नहीं होगी । यदि कोई शुद्धिकरण किया गया है वह स्वीकार नहीं होगा जैसे कटिंग / अधिलेखन मिटाना बहुविकल्पीय उत्तरों में टिक किये उत्तर को कट कर अन्य उत्तर को तिक करना और उत्तर का किसी भी रूप में आशोधन करने पर 0 (शून्य) अंक दिया जाएगा । वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (Objective Type Question) के लिए ऋणात्मक अंकन पद्धति (Negative Marking) अपनाई जाएगी तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा तथा चयन के संबन्धित प्रश्नों में त्रुटि हेतु संदर्भित पत्र दिनांक 07.11.2023 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा पात्र कर्मचारियों को ही लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा । लिखित परीक्षा का समय 02.00 घंटे रखा जाएगा । लिखित परीक्षा के कुल अंकों का 10 प्रतिशत अंक के प्रश्न राजभाषा से संबन्धित होंगे, इस पद हेतु कोई भी पूरक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी तथा परीक्षा के कुल अंक 100 रहेंगे (75 अंकों का लिखित परीक्षा तथा 25 अंक कक्षा-कक्ष अनुदेशक ट्राइल) ।
- 11 रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 22.05.2020 (39/2020) के निर्देशानुसार उक्त EX Cadre पद के लिए आयोजित चयन लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक करने वाले कर्मचारियों को कक्षा-कक्ष अनुदेशक ट्राइल के लिए बुलाया जाएगा । तदनुसार कुल मिलाकर 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का पैनल मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा ।
- 12 प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के आवेदन पत्र उनके पैतृक रेलवे / मण्डल / यूनिट के कार्मिक विभाग द्वारा सत्यापित करा कर ही इस कार्यालय को अर्पित करें ।

File No.NWR-HQ0PERS(HQ)/21/2022-O/o SECY TO PCPO n DY. CPO/W/PERS/HQ/NWR

13 उक्त पदों के लिए इच्छुक / पात्र कर्मचारी अपने आवेदन पर अपने कार्यालय प्रमुख को संलग्न प्रोफार्मा में निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करें तथा उसके उपरांत ऐसे पात्र कर्मचारियों के आवेदन पत्र ही संबन्धित मण्डल के कार्मिक विभाग के द्वारा इस कार्यालय को अद्योषित किए जाएं। इस कार्यालय को बिना कार्मिक शाखा के सीधे भेजे गए आवेदनो पर विचार नहीं किया जाएगा।

कार्मिक विभाग के विभागाध्यक्ष कृपया उक्त अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और आपके नियंत्रण के अधीन कार्यरत केवल पात्र / इच्छुक कर्मचारियों के आवेदन पत्र एकत्रित कर उक्त प्रक्रिया द्वारा दिनांक 05.04.2024 तक उप मुख्य कार्मिक अधिकारी / कल्याण, उपरे - जयपुर को संबोधित कर के इस कार्यालय को भेजें। आवेदनो को इस कार्यालय को भिजवाने से पूर्व नियंत्रित कार्मिक अधिकारी द्वारा सभी प्रकार से सत्यापित किया जाना चाहिए। नियत तिथि के बाद भेजे गए आवेदनो पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो नील की सूचना इस कार्यालय को आवश्यक भेजें। उक्त चयन हेतु लिखित परीक्षा CBT (Computer Based Test) माध्यम से दिनांक 10.05.2024 को आयोजित की जानी है तथा परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश संबन्धित को पत्राचार के द्वारा अवगत करा दिये जाएंगे।

संलग्न -

आवेदन प्रोफार्मा

पाठ्यक्रम / सिलेबस

माडल प्रश्न बैंक इस रेलवे की वेब साइट <ftp://10.141.6.90/> पर उपलब्ध है। सत्येन्द्र यादव SATYENDRA YADAV

Digitally Signed by

YADAV

Date: 01-03-2024 17:29:43

Reason: (सत्येन्द्र यादव) Approved

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी / कल्याण

कृते महाप्रबंधक / कार्मिक

उपरे - जयपुर

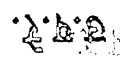
- प्रतिलिपि - 1. महासचिव- एनडब्ल्यूआरईयू / यूपीआरएमएस-प्रका. उपरे- जयपुर
2. महासचिव- एससी.एस.टी./ओ.बी.सी. एसो.- प्रका. उपरे- जयपुर
3. प्राचार्य- क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान-उदयपुर
4. रजिस्ट्रार/आरसीटी जयपुर
5. सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड जम्मूतवी, अजमेर
6. मुख्य परियोजना प्रबंधक/आरई-कोटा, जयपुर
7. समस्त मु. कार्यालय अधीक्षक / निरीक्षक कार्मिक विभाग प्रका. उपरे-जयपुर।

SYLLABUS FOR SELECTION FOR POST OF SR. INSTRUCTOR (PERSONNEL)

1. General conditions of services of employees.
2. Cadre creation of post, unsanctioned posts, review of the cadre and ban on creation of posts.
3. Manpower planning, classification of service, recruitment of Artisan staff, special reservation of Railway service for SC/ST/OBC and other categories, role of Railway Recruitment Boards in recruitment, recruitments other than through usual channels, direct recruitment to intermediate grades.
4. Training and Development Training for Gaz. Officers, safety category staff, trade apprentices, Engg. Trainees & clerical staff knowledge of Railway training institutes and Zonal training Centres.
5. Job Changes- Promotion, transfers dislocation, promotion to selection & non-selection posts, suitability/trade test, effect of refusal of promotion and dislocation, resignations, dismissal, absorption of medically de-categorized staff, transfer of SC/ST employees and Union officials and termination of employees.
6. Confidential Reports.(APAR)
7. Wages-System of wages payment in Railways, scales of pay, types of pay, types of allowances, TA Rules, wages, policies, principles of wage fixation, concept of minimum wages, Minimum wages Act. 1948, Payment of Wages Act, productivity linked bonus and incentive scheme.
8. Management of personal in Loco Sheds, C&W Depots, station Engg. Offices-various records kept and procedure followed and redressal of grievances, supervision work of Personnel&welfare Inspectors.
9. Advances and their eligibility
10. Substitutes and Casual labour engagement and its policy& procedure.
11. Leave Rules.
12. Maintenance of records-Service Register, Personal files and preparation of claims-pay bill, TA, Arrears, etc.
13. Disciplinary & appeal Rules, 1968, Railway services Conduct Rules, 1966& Schedule of Disciplinary Powers.
14. Schedule of powers on Establishment matters.
15. Industrial Relation-Machinery of negotiation Rule of unrecognized trade unions and methods of dealing with them.
16. Factories Act, Special Rules for Workshop staff in Railways.
17. The employees compensation (Amendment) Act 2017
18. Staff welfare- Staff Benefit Fund, Consumer Co-operative Societies, medical assistance Workers' Education Scheme Societies, educational assistance reimbursement of tuition fees and reimbursement of legal expenses.
19. Pass Rules.
20. Retirement benefits under SRPF and pension Rules *and NPS 2004*
21. Litigation of personnel matters, *RTI Act 2005*,

General Establishment Rules

Welfare activities on the Railway, Pass Rules, Organization and role of Personnel Department. its functions and objectives, schedule of powers in establishment matters, writing of confidential Reports, procedure in CAT/Court cases with special reference to filling of Review petitions, SLP, engagement of Advocates and payment of fees to them etc.

वरिष्ठ अनुदेशक / कार्मिक (मंत्रालयिक / कार्मिक निरीक्षक) लेवल-07 पद के लिए अस्थाई रूप भरने हेतु आवेदन पत्र । संदर्भ:- 875 ई / प्रका / अनुदेशक / कार्मिक / उपरे दिनांक- 01.03.2024

फोटो नियंत्रक
अधिकारी द्वारा
सत्यापित

1	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	
2	पिता का नाम	
3	पदनाम	
4	मण्डल/यूनिट/स्टेशन/कार्यालय	
5	संबंधित रेलवे	
6	विभाग	
7	जन्मतिथि	
8	कर्मचारी का मोबाइल नम्बर	
9	रेल सेवा में नियुक्ति की तिथि	
10	वर्तमान पद व पे मैट्रिक्स लेवल	
11	वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि	
12	वर्तमान पद पर नियमित आधार पर कार्यग्रहण की तिथि	
13	मूल पद लेवल व कार्य तिथि	
14	क्या उम्मीदवार अजा/अजजा/ से संबंधित है।	
15	शैक्षणिक योग्यता	
16	अनुभव	
17	क्या डीएआर/एसपीई/सतर्कता मामला लम्बित है या नहीं।	
18	क्या पहले अनुदेशक के रूप में कार्य किया है यदि हाँ तो अनुदेशक के रूप में पदस्थापना पद/प्रशिक्षण संस्थान का नाम/कार्य अवधि	

प्रभारी के हस्ताक्षर
पदनाम दिनांक सहित

उम्मीदवार के हस्ताक्षर.....
कार्यालय.....
तारीख.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सेवा विवरण कर्मचारी की सेवा पंजिका से सत्यापित कर लिये गये हैं जो कि सत्य एवं सही पाये गये हैं और कर्मचारी उक्त परीक्षा में बैठने के योग्य है तथा वांछित पात्रता रखता है और कर्मचारी के खिलाफ कोई डीएआर/एसपीई/सतर्कता मामला लम्बित नहीं है ।

कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम मय मोहर